न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष- डॉ0 एम0के0अग्रवाल,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1381/दो/2014 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25.02.2008 न्यायालय कलेक्टर अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 53/स्व.निग./2006-07

1- रंजीत सिंह धाकरे पुत्र श्री सुरेश सिंह धाकरे,
निवासी ग्राम- पिपरई, तहसील- मुंगावली, जिला- अशोकनगर।

---------- आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर।

---------- अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदक,
श्री अजय चतुर्वेदी, अधिवक्ता, अनावेदक,शासन,

(आदेश दिनांक 1-5-18 को पारित)

यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार परगना ईशागढ़ जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 25.02.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 25.02.2008 में अंकित होने से यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उनका वारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। विवादित भूमि का विवरण भी आक्षेपित आदेश दिनांक 25.02.2008 के पैरा 2 में अंकित होने से यहां दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे संज्ञान में लिया गया है।

3- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क दुहराए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाए गये थे,

निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में अंकित होने से उन्हें यहां पुनरांकित किया जाकर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया जाकर उनका परिशीलन किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में एवं निगरानी मेमो में न्यायालय राजस्व मण्डल के निग. प्रकरण क्रमांक 269/तीन/09 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2013 पर विशेष बल देते हुए निगरानी स्वीकार कर प्रकरण कलेक्टर अशोकनगर को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

4- अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 को विधिवत एवं बैध ठहराते हुए स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

5- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में उपस्थित बाद बिन्दु के संबंध में विचाराधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 का भी अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ कलेक्टर द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांक 25.02.2008 के अंतिम पैरा में विस्तृत विवेचना तथा व्याख्या की जाकर जो निष्कर्ष निकाले गये है वे विधिसंगत प्रतीत होते है कलेक्टर द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में किए गये विष्लेषण में अधिनियमों एवं नियमों का भी उल्लेख किया गया है जिनके प्रकाश में बंटित की गयी भूमि का नायब तहसीलदार द्वारा पारित बंटन आदेश बैधानिक प्रक्रिया के विपरीत होकर विधिक त्रुटि के अंतर्गत आता है जिसे भी स्थिर रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, जिसे कलेक्टर द्वारा ठीक ही निरस्त किया गया है, कलेक्टर द्वारा अपने आलोच्य आदेश के अंतिम पैरा में निकाला गया निष्कर्ष संबैधानिक होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जो इस आदेश का अंग होगा। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 विधिक एवं न्यायोचित होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश,
ग्वालियर